"ड्रग फ्री देवभूमि" अभियान के उद्देश्य को धरातल पर साकार करती चमोली पुलिस।

एस0ओ0जी टीम ने 606 ग्राम अवैध चरस के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार

आरोपी भराडीसैंण में चलाता था परचून की दुकान, अलग-अलग स्थानों से चरस इकट्ठा कर कॉलेज के छात्रों को करता था सप्लाई

👉 पुलिस अधीक्षक चमोली श्रीमती रेखा यादव (IPS) महोदया द्वारा जनपद में नशे के अवैध प्रचलन पर लगातार सख्ती बरती हुई है, ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हुए जनपद चमोली को नशा मुक्त बनाने हेतु उनके द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी/एस0ओ0जी0 को नशे के खिलाफ कार्रवाई हेतु लगातार एक्टिव मोड पर रखा गया है।

👉 महोदया के निर्देशन में अवैध नशा कारोबारियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एस0ओ0जी0 टीम चमोली को दिनांक 30.01.24 को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर चैकिंग के दौरान SSB बैण्ड कालीमाटी के पास समय 14:15 बजे वाहन संख्या UK-11A-8523 (ऑल्टो कार) के चालक जोत सिंह पुत्र स्व0 रतन सिंह नेगी निवासी ग्राम परवाडी थाना गैरसैण जनपद चमोली उम्र 49 वर्ष के पास से 606 ग्राम अवैध चरस बरामद की गयी।

👉 बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना गैरसैण पर मु0अ0सं0- 02/24, धारा- 8/20/60 NDPS Act पंजीकृत किया गया है व परिवहन में प्रयुक्त वाहन को सीज किया गया।

👉 पुलिस की पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया की वह भराडीसैण में परचून की दुकान चलाता है तथा गाँवों से स्वयं अलग-अलग स्थानों से चरस लाकर गैरसैण कॉलेज के छात्रों को ऊँचे दामों पर बेचता है।

👉 अभियुक्त से बरामद चरस की अनुमानित कीमत 50,000/-रू0 है पुलिस द्वारा अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है तथा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम पता अभियुक्त- जोत सिंह पुत्र स्व0 रतन सिंह नेगी निवासी ग्राम परवाडी थाना गैरसैण जनपद चमोली उम्र 49 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 02/24, धारा 8/20/60 NDPS Act

बरामद माल- 606 ग्राम अवैध चरस, अनुमानित कीमत 50000/-रू0 (पचास हजार रूपये)।

पुलिस टीम-

1. उ0नि0 नवनीत भण्डारी प्रभारी एस0ओ0जी0 चमोली।
2. आरक्षी आशुतोष तिवारी।
3. आरक्षी रविकान्त
4. आरक्षी सलमान

कार्यालय थानाध्यक्ष
कार्यालय
थाना गैरसैंण
Columbia